estan-misc-3

समाहरणालय, दरभंगा
(जिला गोपनीय प्रशाखा)

पत्र संख्या 1792 /सी0,

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
दरभंगा।

सेवा में,

जिला स्तरीय सभी विभागीय/तकनीकी पदाधिकारी,
दरभंगा जिला।

लहेरियासराय, दिनांक 9 जुलाई, 2014.

विषय :- **अवकाश की स्वीकृति/मुख्यालय छोड़ने की अनुमति लिये जाने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव के पत्रांक 1263 दिनांक 19.9.2011 के द्वारा जिला पदाधिकारियों के कृत्यों एवं कर्त्तव्यों का निर्धारण किया गया है, जिसकी कंडिका-3(ii) में उल्लेख किया गया है कि :-

"जिला स्तरीय पदाधिकारी को आकस्मिक अवकाश का आवेदन जिला पदाधिकारी के माध्यम से सक्षम प्राधिकार को भेजा जायेगा तथा जिला पदाधिकारी की सहमति से ही उन्हें आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जायेगा। साथ ही आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति के पश्चात मुख्यालय छोड़ने के पूर्व उन्हें जिला पदाधिकारी की सहमति प्राप्त करनी होगी। अन्य अवकाश के मामलों में भी जिला पदाधिकारी के माध्यम से अवकाश का आवेदन प्रेषित किया जायेगा तथा इस कम में जिला पदाधिकारी अपना मन्तव्य अंकित कर सकेंगे।"

उपर्युक्त कंडिका में वर्णित निदेशों के अनुपालन हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 1921/सी0, दिनांक 08.10.11, 2742/सी0, दिनांक 22.10.11 एवं 179, दिनांक 19.01.2013 आपको पूर्व में प्रेषित है। परन्तु इसका सही ढ़ंग से अनुपालन आपके द्वारा नहीं किया जा रहा है।

इस कम में पुनः निदेशित किया जाता है कि यदि आपको अवकाश में प्रस्थान करना है तो सक्षम प्राधिकार से अवकाश की स्वीकृति लेते हुये मुख्यालय छोड़ने की अनुमति अधोहस्ताक्षरी से प्राप्त की जाय एवं मुख्यालय छोड़ने के आवेदन के साथ सक्षम प्राधिकार द्वारा दी गई अवकाश की स्वीकृति से संबंधित पत्र की प्रति संलग्न की जाय।

इसी प्रकार यदि विभागीय बैठक में भाग लेने हेतु मुख्यालय से बाहर जाना हो तो मुख्यालय से बाहर जाने की अनुमति अधोहस्ताक्षरी से प्राप्त की जाय एवं इसके लिये आवेदन करते समय बैठक की सूचना से संबंधित पत्र की प्रति आवेदन के साथ संलग्न की जाय। यदि बैठक की सूचना आपके दूरभाष पर प्राप्त हुई हो तो जिस दूरभाष संख्या से जिस पदाधिकारी/कर्मी द्वारा सूचना दी गई हो वह दूरभाष संख्या तथा उनका नाम एवं आपके जिस दूरभाष पर जिस पदाधिकारी/कर्मी के पास सूचना प्राप्त हुई हो सूचना प्राप्त करने वाले का नाम, दूरभाष संख्या तथा वार्त्ता का समय अपने आवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित करें। अगर आपको बैठक की सूचना SMS के माध्यम से प्राप्त हुई हो तो sender का नाम/मोबाईल संख्या तथा SMS प्राप्ति का समय अपने आवेदन में अंकित करें। अत्यल्प अवधि में अनुमति प्राप्त करने हेतु SMS का भी उपयोग करें।

उपरोक्त निदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। बिना अनुमति के मुख्यालय से बाहर पाये जाने पर बिना अपवाद के उस दिन का वेतन बन्द कर दिया जायेगा तथा प्रपत्र 'क' गठित कर विभाग को भेज दिया जायगा।

विगत कई माह से आपका अग्रिम भ्रमण कार्यकम भी प्राप्त नहीं हो रहा है। प्रत्यक माह के अंतिम सप्ताह में अगले माह का अग्रिम भ्रमण कार्यकम अचूक रूप से जिला गोपनीय प्रशाखा में भेजना सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन

9/7/14

जिलाधिकारी,
दरभंगा।